[2013] 12 एस. सी. आर. 824

फखरुज़म्मा बनाम झारखंड राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2013 का 2086)

12 दिसंबर, 2013

[के एस राधाकृष्णन और ए. के. सिकरी, जे. जे.]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973:

-लोक सेवक के अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी- आयोजितः
आर.197 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि केवल ऐसे लोक सेवकों के अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है जिन्हें सरकार की मंजूरी से हटाया जा सकता है- झारखंड पुलिस मैनुअल के आर.825 के खंड (ए) और (बी) पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना इंस्पेक्टर के पद तक के पुलिस अधिकारियों को हटाने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। - उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि सक्षम प्राधिकारी ने अपीलार्थी को सेवा से हटा दिया था, अतः धारा 197 की मंजूरी आवश्यक नहीं थी।
- झारखंड पुलिस नियमावली- आर आर.825 (ए) और (बी).

अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत मामले की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की, जिसमें उसके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 456,323,504,506,342,386,201,120- बी और 304 के दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। उनका मामला यह था कि वे पुलिस के उपनिरीक्षक थे और कथित कार्य उनके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए किया गया था और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अभाव में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट कथित अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकते थे। उच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि सक्षम प्राधिकारी ने अपीलार्थी को सेवा से हटा दिया था, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 को मंजूरी देने की आवश्यकता नहीं थी।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहाः

1.1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि केवल ऐसे लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है जिन्हें सरकार की मंजूरी से हटाया जा सकता है। झारखंड के आर.825 के खंड (ए) और (बी) 8 पुलिस नियमावली पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक को निरीक्षक के पद तक के पुलिस अधिकारियों को हटाने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करती है। हटाने का आदेश पारित करने से पहले, पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। नागराफ के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया है कि एक पुलिस महानिरीक्षक एक उप- निरीक्षक को बर्खास्त कर सकता है और इसलिए, अपीलार्थी के अभियोजन के लिए राज्य सरकार की कोई मंजूरी आवश्यक नहीं थी, भले ही उसने इस आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए कथित अपराधों को किया हो।

[पैरा 7-8] [830-C; 831- बी - ई]

नागराज बनाम मैसूर राज्य **(1964) 3 एस. सी. आर. 671 = ए.आई. आर 1964 एससी 269**
शंकरन मोइत्रा बनाम साधना दास और अन्य। 2006 (3) एससीआर 305 = (2006) 4 एस सी सी 584; और राकेश कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य और अन्य। 2006 (1) 124 = (2006) 1 एस सी सी 557-लागू नहीं है।

1.2. उच्च न्यायालय झारखंड पुलिस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए नागराज में निर्धारित अनुपात को लागू करने में सही था और उच्च न्यायालय के विचार का समर्थन किया जाता है।

[पैरा 9] [831- एफ- जी]

मामला कानून संदर्भः 2006 (1) एस. सी. आर.124 पैरा 4 लागू नहीं होता है ।
2006 (3) एससीआर 305 लागू नहीं पैरा 4 लागू नहीं होता है पैरा 4 ई एफ जी एच

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2013]

(1964) 3 एस. सी. आर. 671

आपराधिक अपीलीय न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 2013 का 2086

रांची में झारखंड के 8 उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 09.09.2011 से सी आर एल एम पी नं 2006 का 1669

अपीलार्थी की ओर से एस. के. कटरियार, मनोज के. श्रीवास्तव, रामेश्वर प्रसाद गोयल।

उत्तरदाताओं की ओर से जायेश गौरव, अनिल के. झा, प्रियंका त्यागी, मिथलेश कुमार सिंह।

न्यायालय का निर्णय के.एस. राधाकृष्णन, जे. 1. द्वारा दिया गया था।

2. इस मामले में विचार के लिए जो प्रश्न सामने आया है वह यह है कि क्या धारा 197 सी आर पी सी के तहत मंजूरी है।

अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार के लिए आवश्यक है, हालाँकि उसे झारखंड पुलिस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सेवा से हटा दिया गया था।

3. उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गिरिडीह, 2003 के शिकायत मामले संख्या.281, टी.आर. 2006 की सं. 835 में अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 456, 323, 504, 506, 342, 386, 201, 1208 और 304 के अधीन विभिन्न अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया। उस आदेश को अपीलार्थी ने सी आर एल दाखिल करके उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। एम पी धारा 482 सी आर पी सी के तहत 2006 की संख्या 1669 यह कहते हुए कि राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अभाव में, धारा 197 जी सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार, विद्वान मजिस्ट्रेट अपीलार्थी के खिलाफ अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता था, जो पुलिस का उप-निरीक्षक था, क्योंकि कथित कार्य अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय किया गया था। उच्च न्यायालय ने उस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि सक्षम प्राधिकारी ने अपीलार्थी को सेवा से हटा दिया था, इसलिए मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी।

धारा 197 सीआरपीसी के तहत आज्ञा नहीं दी गई थी। उसी से पीड़ित, इस अपील को प्राथमिकता दी गई है।

4. श्री एस के कटरियार, वरिष्ठ अधिवक्ता, टाइटल अपीलार्थी के लिए उपस्थित हुए, ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि धारा 197 (1) सीआरपीसी के तहत कोई मंजूरी नहीं है। अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने से पहले यह आवश्यक था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि शंकरन मोइत्रा बनाम साधना दास और अन्य में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात की सराहना करने में विफल रहा और गलती से अभिनिर्धारित किया कि कोई मंजूरी धारा 197 सीआरपीसी के तहत अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने के लिए विचार किया गया था। ।
(2006) 4 एस. सी. सी. 584] और राकेश कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य और अन्य। ((2006) 1 एससीसी 557]

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश अधिवक्ता श्री जयेश गौरव ने तर्क दिया कि अपीलार्थी पुलिस का एक उप-निरीक्षक है और इसलिए झारखंड पुलिस मैनुअल द्वारा शासित है और उसे पुलिस महानिरीक्षक यापुलिस के उप-महानिरीक्षक द्वारा सेवा से हटाया जा सकता है और एक उप-निरीक्षक की सेवा से हटाने के लिए, राज्य सरकार की कोई मंजूरी आवश्यक नहीं है और इसलिए, धारा 197 सीआरपीसी अपीलार्थी के मामले में लागू नहीं होगा। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस मामले में उठाया गया मुद्दा नागराज बनाम मैसूर राज्य में इस न्यायालय के फैसले के दायरे में आता है। [(1964) 3 एससीआर 671 = एआईआर 1964 एससी 269]

6. अपीलार्थी का मामला यह है कि उसने आईपीसी की धारा 376 (जी) और एफ 302 के तहत अपराधों के लिए एक सत्यम मिर्जा (मृतक होने के बाद से) को गिरफ्तार किया था। मामला पुलिस स्टेशन गांडे में दर्ज किया गया था जहाँ अपीलार्थी कार्यालय-प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा था।

अपीलार्थी के अनुसार, देसी कट्टा की तलाश में मृतक के नेतृत्व में मौके से लौटते समय मृतक पुलिस के चल रहे वाहन टाटा 407 से कूद गया और अंधेरी रात में घने जंगल में गायब हो गया और उसका पता नहीं चल सका।

बाद में 13.1.2003 को वे गहरे जंगल में मृत पाए गए। मृतक सत्यम मिर्जा की पत्नी ने पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने कहा कि मृतक की पुलिस हिरासत के दौरान मृत्यु हो गई थी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए विद्वत उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4.7.2006 को उस शिकायत का संज्ञान लिया और अपीलार्थी के विरुद्ध मामला दर्ज किया। जैसा कि पहले ही कहा गया है, उस शिकायत को रद्द करने के लिए, अपीलार्थी ने इस आधार पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि धारा 197 सीआरपीसी के तहत कोई मंजूरी नहीं है। धारा 197 सीआरपीसी का दायरा विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से पहले प्राप्त किया गया था, झारखंड पुलिस नियमावली के आलोक में जाँच की जानी है। धारा 197 सीआरपीसी एक आसान संदर्भ के लिए नीचे निकाला गया हैः-

"197. न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। (1) जब कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक है या था जो सरकार द्वारा या सरकार की मंजूरी के बिना अपने पद से हटाने योग्य नहीं है, उस पर अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए उसके द्वारा किए गए किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो कोई भी न्यायालय पूर्व मंजूरी के अलावा ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(ए) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो, यथास्थिति, नियोजित है या कथित अपराध के किए जाने के समय, केंद्र सरकार के संघ के मामलों के संबंध में नियोजित था,

(बी) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो, यथास्थिति, नियोजित है या राज्य सरकार के मामलों के संबंध में नियोजित कथित अपराध के किए जाने के समय थाः

परन्तु जहां कथित अपराध खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन जारी उद्घोषणा किसी राज्य में प्रवृत्त थी, वहां खंड (ख) इस प्रकार लागू होगा मानो उसमें होने वाली "राज्य सरकार" पद के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" पद प्रतिस्थापित किया गया हो।

(2) कोई भी न्यायालय किसी भी कथित अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जो सशस्त्र बल के किसी भी सदस्य द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय पिछले केंद्र सरकार की मंजूरी को छोड़कर किया गया है।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि उपधारा (2) के उपबंध ऐसे वर्ग पर लागू होंगे।
प्रभारित बलों के सदस्यों की श्रेणी सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है उसमें, जहाँ कहीं भी वे सेवा कर रहे हों, और उसके बाद उस उप-धारा के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि अभिव्यक्ति "केंद्रीय सरकार" उसमें होने वाली
"राज्य सरकार" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया।

3 (ए) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जो बलों के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया है।एक राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए आरोपित अपने निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का इरादा रखते हुए एक उद्घोषणा जारी होने की अवधि के दौरान आधिकारिक कर्तव्य
संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत केंद्र सरकारकी पूर्व मंजूरी के साथकिया गया है।

3 (बी) में निहित विपरीत कुछ भी होने के बावजूद इस कोड या किसी अन्य कानून द्द्वारा घोषित किया जाता है कि किसी भी
राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी या ऐसी मंजूरी पर न्यायालय द्वारा लिया गया संज्ञान, 20 अगस्त, 1991 को शुरू होने वाली अवधि और तारीख से तुरंत पहले की तारीख के साथ समाप्त होता है जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1991
के साथ राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है किए गए कथित अपराध के संबंध में
उस अवधि के दौरान जब खंड के अधीन उद्घोषणा जारी की गई हो (1) संविधान के अनुच्छेद 356 में लागू था राज्य, अमान्य होगा और इसके लिए सक्षम होगा

केंद्र सरकार ऐसे मामले में मंजूरी दे और न्यायालय को उस पर संज्ञान लेना चाहिए।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, उस व्यक्ति का निर्धारण कर सकती है जिसके द्वारा, किस तरीके से और अपराध या अपराधों के लिए ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक का अभियोजन किया जाना है, और उस न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकती है जिसके समक्ष विचारण किया जाना है।

7. उपर्युक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि केवल ऐसे लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है जिन्हें सरकार की मंजूरी से हटाया जा सकता है।

झारखंड पुलिस नियमावली के नियम 824 में पुलिस निरीक्षक के पद तक के पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने और हटाने की सजा सहित विभिन्न विभागीय दंड निर्धारित किए गए हैं। हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नियम नियम 825 है, जो नीचे दिया गया हैः

"825. अधिकारी सजा देने के लिए सशक्त हैं। -

(ए) किसी भी पुलिस अधिकारी को उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया है।
(ख) महानिरीक्षक उपाधीक्षक के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को नियम 825 में से कोई एक या अधिक दंड दे सकता है।

एक अधीक्षक अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी पर और उपनिरीक्षक के पद के और उससे नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी पर नियम 824 में बर्खास्तगी; उप-निरीक्षक या सहायक उप-निरीक्षक के मामले में निष्कासन और अनिवार्य सेवानिवृत्ति को छोड़कर कोई या अधिक दंड लगा सकता है। यह ध्यान में रखा जाएगा कि यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जांच शुरू की गई है, तो परिणाम की एक रिपोर्ट सूचना के लिए उन्हें भेजी जाएगी।

यदि आवश्यक हो तो विभागीय कार्यवाही की फाइल भी इसके साथ भेजी जाएगी।

8. नियम 825, खंड (ए) और (बी) पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक को निरीक्षक के पद तक के पुलिस अधिकारियों को हटाने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। हटाने का आदेश पारित करने से पहले, पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस के उप महानिरीक्षक को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।

इसी प्रकार का एक मुद्दा नागराफ के मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया, जिसमें इस न्यायालय को धारा 197 सीआरपीसी के दायरे की जांच करने के लिए कहा गया था। मैसूर पुलिस अधिनियम, 1908 की धारा 4 (ग) 8, 26 (1) और 3 के साथ पढ़ें। उपर्युक्त प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय की तीन- न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एक पुलिस महानिरीक्षक एक उप- निरीक्षक को बर्खास्त कर सकता है और इसलिए, अपीलार्थी के अभियोजन के लिए राज्य सरकार की कोई मंजूरी आवश्यक नहीं थी, भले ही उसने कार्य करते समय कथित अपराध किए हों या इस आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने के लिए अभिप्रेत हो।

9. राकेश कुमार मिश्रा (उपर्युक्त) जैसे अपीलार्थी द्वारा निर्दिष्ट निर्णय उस मामले में लागू नहीं होता है। हमारे विचार में, उठाया गया प्रश्न सीधे तौर पर नागराफ के मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किया गया है और उच्च न्यायालय झारखंड पुलिस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उस मामले में निर्धारित अनुपात को लागू करने में सही था और हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

10. इन परिस्थितियों में, हम इस अपील जी में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और वही खारिज हो जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई

<u>यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।</u>